

1. क्या मैं अपने नवास प्रमाण पत्र की वैधता 06/2025 तक बढ़ाने वाले वधायी आदेश के तहत पुतगाल से बाहर यात्रा कर सकता हूँ, भले ही मेरा नवास प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका हो?"

पुतगाल में नवास से संबंधित दस्तावेज़ और वीसा, जिनकी वैधता 22 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी, 30 जून 2025 तक वैध हैं। ये दस्तावेज़ पुतगाली संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हैं, जैसे कि रोजगार और पेशेवर प्रशिक्षण संस्थान, फाइनेंस, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, नगरपालिका, पंचायतें, बैंक और नियोक्ता, जैसा कि वधेयक संख्या 10-A/2020, 13 मार्च को जारी किए गए अनुच्छेद 16, खंड 1 से 8, द्वारा परभावित किया गया है और वधेयक संख्या 41-A/2024, 28 जून को संशोधित किया गया है। इन दस्तावेज़ों और वीसा की वैधता का विस्तार केवल पुतगाल तक सीमित है और यह पुतगाली अधिकारियों को बाध्य करता है, जबकि शेंगेन क्षेत्र के अन्य देशों में प्रवेश और आवागमन शेंगेन सीमा कोड के नियमों के तहत होता है।

2. क्या मैं नवास अनुमत के अनुरोध के प्रमाण पत्र के साथ केवल पुतगाल से बाहर यात्रा कर सकता हूँ?

नहीं। नवास अनुमत के अनुरोध का प्रमाण पत्र यात्रा दस्तावेज़ नहीं है। इस प्रकार, इसे शेंगेन क्षेत्र के अन्य देशों में आवागमन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

यदि आप पुतगाल छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैध यात्रा दस्तावेज़ होना चाहिए और आपको उस देश के नियमों का पालन करना चाहिए जहां आप जा रहे हैं।

3. मैं अपना नवास प्रमाण पत्र कैसे नवीनीकरण कर सकता हूँ?

अस्थायी और स्थायी नवास प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए अनुरोधों को IRN के काउंटर पर, पूर्ण-नधांतरत अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

AIMA केवल नवेश गतियों और मानव तस्करी या अवैध आवागमन से प्रभावित लोगों के नवास प्रमाण पत्र नवीनीकरण अनुरोधों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है।

अधक जानकारी प्राप्त करने के लए कृपया देखें:

<https://irn.justica.gov.pt/Servicos/Cidadao/Renovar-autorizacao-de-residencia/Renovacao-de-residencia-perguntas-e-respostas>

4. मैंने अपना नवास प्रमाण पत्र खो दया है। मुझे क्या करना चा हए?

आपको नवास प्रमाण पत्र की दूसरी कॉपी के लए आवेदन करना चा हए य द यह खो जाए, नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, और सुरक्षा बलों के पास चोरी/खोने की रिपोर्ट जमा करनी चा हए। इसके बाद, आपको AIMA के संपर्क केंद्र के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना होगा, जो (+351) 217 115 000 नंबर पर उपलब्ध है, जो हर कामकाजी दिन में सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक उपलब्ध है, या ईमेल पते पर: geral@aima.gov.pt .

5. जब नवास प्रमाण पत्र को AIMA पर वापस कया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने पर क्या कोई शुल्क है?

13 अक्टूबर 2023 के पोटाफरया संख्या 307/2023 के अनुसार, नवास प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लए 28.50 यूरो की फीस देनी होती है।

6. मैं अपने नवास प्रमाण पत्र में डेटा में बदलाव कैसे कर सकता हूँ?

नवास प्रमाण पत्र में डेटा बदलने के लए आपको AIMA के संपर्क केंद्र के माध्यम से अपॉइंटमेंट करना होगा, जो (+351) 217 115 000 नंबर पर उपलब्ध है, जो हर कामकाजी दिन में सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक उपलब्ध है, या ईमेल पते पर: geral@aima.gov.pt

7. क्या मैं कसी भी AIMA पर नवास समय की गनती का प्रमाण पत्र आवेदन कर सकता हूँ?

हाँ। कोई भी AIMA समय की गनती का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, जो नागरिकता और अन्य उद्देश्यों

के लिए है, और अनुरोध को प्राथमिकता से नवास के सबसे नजदीकी AIMA पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके लिए, आपको AIMA की वेबसाइट (www.aima.gov.pt) पर उपलब्ध समय सारणी की जांच करनी चाहिए और नमूने के लिंक पर उपलब्ध फॉर्म को भरना चाहिए:

<https://aima.gov.pt/media/pages/documents/d1967cd110-1714485830/modelo-7.pdf>